पहल | 51 न्याय सारथी मोबाइल विधिक सहायता क्लीनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

अंतिम छोर तक न्याय पहुंचाने की ऐतिहासिक पहल

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया रहे मौजूद

जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व कार्यपालक अध्यक्ष हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया ने बुधवार को 51 न्याय सारथी मोबाइल विधिक सहायता क्लीनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सभी के लिए न्याय तक पहुंच की संकल्पना को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाईकोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित थे। सभी ने राज्य के दूरस्थए ग्रामीणए जनजातीय व वंचित क्षेत्रों तक विधिक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम की सराहना की।

दरअसल, प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु कुल 51 न्याय सारथी मोबाइल विधिक सहायता क्लीनिक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। बोलेरो नियो माडल के यह वाहन मोबाइल विधिक सहायता क्लीनिक के रूप में कार्य करेंगे, जिनके माध्यम से राज्य के सुदूर गांवों, पंचायतों एवं घर-घर तक विधिक सहायता और विधिक जागरूकता सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। इन मोबाइल विधिक सहायता क्लीनिकों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को निशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी। महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बंदियों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनके विधिक वसंवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्री-लिटिगेशन परामर्श, विधिक सलाह, मध्यस्थता तथा लोक अदालत संबंधी जागरूकता सीधे समुदाय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। पैरा लीगल वालंटियर्स अधिक प्रभावी रूप से फील्ड भ्रमण कर सकेंगे, विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर सकेंगे, जमीनी स्तर पर हितग्राहियों की सहायता कर सकेंगे तथा सामुदायिक मध्यस्थ विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु समुदाय स्तर पर मध्यस्थता को प्रोत्साहित कर सकेंगे।

ग्राम न्यायालयों हेतु उपलब्ध कराए गए वाहनों को भी विधिवत हरी झंडी दिखाई

इस अवसर पर ग्राम न्यायालय अधिनियमए 2008 के प्रविधानों के अंतर्गत स्थापित एवं संबंधित जिला न्यायालयों के अधीन संचालित ग्राम न्यायालयों हेतु उपलब्ध कराए गए वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा माडल के ये वाहन ग्राम न्यायालयों के प्रभावी संचालन, न्यायिक गतिशीलता को सुदृढ़ करने, ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में न्यायालयीन प्रक्रियाओं की पहुंच बढ़ाने तथा जमीनी स्तर पर न्याय सुलभकराने के उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे।

पारिवारिक न्यायालयों तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिए भी वाहनों को रवाना किया

इसके अतिरिक्त राज्य के जिला न्यायपालिका के अंतर्गत संचालित पारिवारिक न्यायालयों व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिए भी वाहनों को रवाना किया गया। मारुति सुजुकी एक्सएल-सिक्स माडल के ये वाहन न्यायिक प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करते हुए कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन, बेहतर प्रशासनिक समन्वय तथा समयबद्ध न्यायिक कार्य सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। समारोह में धरमिंदर सिंह रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारीगण उमेश पांडव निदेशक मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी सहित अकादमी के अधिकारीगण सुमन श्रीवास्तव सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। राज्य के सभी जिलों में 51 न्याय सारथी मोबाइल विधिक सहायता क्लीनिक वाहनों के संचालन से विधिक जागरूकता, विधिक सहायता व आमजन की न्याय तक पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार होगा।

अतिक्रमण हटाने की जल्दबाजी में करंट लगने से युवक की मौत

जबलपुर । गढ़ा थाना अंतर्गत मेडिकल के पास बुधवार शाम एक युवक अपना आशियाना बचाने की जद्दोजहद में करंट की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मेडिकल पावर हाउस के पीछे रहने वाले वीरेंद्र उर्फ वीरू चक्रवर्ती (35) को क्या पता था कि जिस छत को वह प्रशासन के डर से आनन-फानन में उखाड़ रहा है, वही उसकी मौत का कारण बन जाएगी। जानकारी के अनुसार, वीरेंद्र मेडिकल पावर हाउस के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था और वहीं चिकन की दुकान चलाकर अपने तीन छोटे बच्चों का पेट पालता था। इलाके में पिछले कुछ दिनों से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। वीरेंद्र की झोपड़ी भी इसी कार्रवाई के दायरे में थी। अधिकारियों ने उसे सख्त चेतावनी देते हुए तुरंत जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वीरेंद्र ने अधिकारियों से थोड़ा और समय मांगा था, लेकिन दबाव के चलते वह डर गया था। बुधवार शाम वह अपनी झोपड़ी खाली करने लगा। जब वह झोपड़ी के ऊपरी हिस्से पर लगी टीन की शीट को लोहे के पाइप के सहारे हटा रहा था, तभी पाइप ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। जोरदार करंट लगने के कारण वीरेंद्र मौके पर ही झुलस गया और उसकी जान चली गई।

समय मिल जाता तो बच जाती जान

घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल है। मृतक के परिजनों और स्थानीय निवासियों ने का आरोप है कि वीरेंद्र पर अतिक्रमण हटाने मानसिक दबाव बना दिया था कि वह बदहवासी में काम करने लगा। अगर उसे सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता, तो शायद वह आज जीवित होता।

तीन मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

इस हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। वीरेंद्र अपने पीछे तीन छोटे बच्चे छोड़ गया है, जिनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। परिजनों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बसों में बायीं ओर दो दरवाजे और एक अतिरिक्त आपातकालीन द्वार हो

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जबलपुर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी स्टेज कैरिज और पर्यटक बसें मोटर वाहन नियम मध्य प्रदेश के नियम 164 का अनुपालन करें। न्यायालय ने सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन न किए जाने पर कहा कि यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है कि कई वातानुकूलित बसों और यहां तक कि गैर-वातानुकूलित लक्जरी बसों और स्लीपर बसों में बायीं ओर दो दरवाजे और एक अतिरिक्त आपातकालीन द्वार नहीं है। लक्जरी बसों से जुड़ी आग दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में जान-माल की हानि हो रही है। तकरीबन किसी भी वाहन पर बायीं ओर दो द्वार सुनिश्चित नहीं किए गए हैं और परमिट अंधाधुंध जारी किए जा रहे हैं। कोर्ट ने आरटीओं को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या किसी भी स्टेज कैरिज और पर्यटक बसों द्वारा नियम 164 का उल्लंघन किया जा रहा है। यदि कोई बसें उल्लंघन करती पाई गईं, तो उनका संचालन 45 दिनों के भीतर बंद कर दिया जाए। कोर्ट ने परिवहन विभाग के मुख्य-अतिरिक्त सचिव को इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी शपथपत्र में पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को नियत की है। दरअसल मंडला निवासी बस आपरेटर राम मिलन राय की ओर से दायर याचिका में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण (एसटीएटी) के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की बस में कुल मिलाकर केवल 36 सीटें थीं, जो निर्धारित आवश्यकता से कम थीं। कोर्ट ने कहा कि नियम 164 के तहत प्रत्येक गाड़ी में बायीं ओर कम से कम दो दरवाजे होने चाहिए, एक प्रवेश के लिए और एक निकास के लिए और दाईं या पिछली तरफ एक आपातकालीन दरवाजा होना चाहिए। जबकि वर्तमान मामले में, बस में केवल एक प्रवेश द्वार और एक आपातकालीन द्वार था। कोर्ट ने कहा कि अधिकार क्षेत्र का प्रश्न निर्णायक नहीं है क्योंकि वैधानिक गैर-अनुपालन पर परमिट रद्द करना उचित है।

पटवारा स्टेशन पर अस्थाई तौर पर नहीं रहेगा ठहराव

जबलपुर। जबलपुर मण्डल में प्री नॉनइंटरलॉकिंग एवं नॉनइंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे प्रशासन द्वारा पटवारा रेलवे स्टेशन पर अधोसंरचनात्मक कार्य करने का निर्णय लिया गया हैं। इस दौरान पटवारा रेलवे स्टेशन पर अस्थाई तौर पर ठहराव नहीं रहेगा, जिसके चलते पश्चिम मध्य रेल से प्रारम्भ टर्मिनेट एवं गुजरने वाली 06 ट्रेनें प्रभावित रहेगी। इसमें प्रयागराज छिवकी - इटारसी एक्सप्रेस 05 से 07 अप्रैल तक। 11273 इटारसी - प्रयागराज छिवकी एक्सप्रेस 08 से 10 अप्रैल तक। वही 61606 सतना - कटनी मेमू ट्रेन 06 से 08 अप्रैल तक और 61605 कटनी - सतना मेमू ट्रेन अवधि 09 से 11 अप्रैल तक 11705 जबपुर - रीवा शटल एक्सप्रेस 09 से 11 तक प्रभावित रहेगी।

एक चेहरे के जरिए 63 फर्जी सिम हुई एक्टिवेट

ऑपरेशन फेस में खुलासा सिवनी का जालसाज गिरफ्तार

जबलपुर। ऑपरेशन फेस के तहत जबलपुर सायबर सेल ने एक ऐसे शातिर जालसाज को दबोचा है, जिसने महज चंद रुपयों के लालच में अपने ही चेहरे का इस्तेमाल कर अलग-अलग नामों से 63 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट करा रखे थे। दरअसल राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के फरमान पर ऑपनेशन फेस पूरे प्रदेश में चलाया गया । जिसके तहत एक ही व्यक्ति के चेहरे का इस्तेमाल कर फर्जी सिम एक्टिवेट करने वालों और एजेंटों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए गए थे। उप पुलिस अधीक्षक सायबर अंजुल अयंक मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस फर्जी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया।

ऐसे करता था फर्जीवाड़ा

जांच के दौरान टीम ने एक जालसाज का चेहरा चिन्हित किया। पुलिस ने ग्राम बम्होडी मेहता थाना घंसौर, जिला सिवनी निवासी आरोपी अंबेश झारिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साल 2019 में अपने एक साथी के साथ मिलकर कमीशनखोरी के चलते अलग-अलग आधार कार्डों पर अपनी ही फोटो लगाई और फर्जी नाम-पतों का सहारा लिया। आरोपी ने इस तरीके से कुल 63 सिम कार्ड एक्टिवेट कराए। इनमें एयरटेल की 47 और वीआई के 16 सिम कार्ड शामिल हैं। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने यह सब केवल पैसों के लालच में आकर किया था। आरोपी के खिलाफ क्राइम ब्रांच में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश भी सरगर्मी से की जा रही है।

गोरखपुर गुरुद्वारे के सामने से हटा अवैध अतिक्रमण

प्रशासन की निष्पक्ष कार्यवाही की जनता ने की सराहना

कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और निगमायुक्त के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई

नवभारत,जबलपुर। शहर के यातायात को सुगम बनाने और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस बल ने एक मिसाल पेश की है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, एवं निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के मार्गदर्शन में गोरखपुर गुरुद्वारे के सामने लंबे समय से काबिज अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाए गए संयुक्त अभियान के बाद क्षेत्र की सूरत बदली हुई नजर आई। प्रशासन की इस पारदर्शी और कर्तव्यनिष्ठा से परिपूर्ण कार्यवाही का स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है एवं जमकर सराहना की है।

गुरुद्वारा मार्ग, जो पहले सब्जी मंडी और अवैध ठेलों के कारण संकरा हो गया था, अब पूरी तरह व्यवस्थित और चौड़ा नजर आ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि अतिक्रमण हटने से ग्राहकों का उनकी दुकानों तक पहुँचना आसान हो गया है, जिससे व्यापार को सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा। सब्जी मार्केट के हटने से क्षेत्र में साफ-सफाई बेहतर हुई है और भीड़ कम होने से सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हुई है।

प्रशासन का प्रयास निष्पक्षता का परिचायक

जिला, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की इस संयुक्त टीम ने बिना किसी भेदभाव के पूरी निष्पक्षता के साथ कार्यवाही की है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यह अभियान न केवल शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जरूरी था, बल्कि स्वच्छता के लिए भी जरूरी था। प्रशासन की यह कार्यवाही बहुत ही सराहनीय है। पहले गुरुद्वारे जाने वाले श्रद्धालुओं और आम जनता को घंटों जाम से जूझना पड़ता था। अब मार्ग व्यवस्थित है और हम इस पारदर्शिता के लिए अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। अक्सर देखा जाता था कि गुरुद्वारे के सामने मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से सब्जी मार्केट सज जाता था, जिससे न केवल गंदगी फैलती थी बल्कि यातायात भी पूरी तरह बाधित रहता था। कार्यवाही के बाद अब यहाँ शांति और व्यवस्था कायम है।

दिनभर चिलचिलाती धूप के साथ गर्मी ने दिखाया असर

बदलेगा मौसम, आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

नवभारत, जबलपुर। सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से मौसम का मिजाज बदल गया है। बुधवार को सुबह से सूर्यदेव खिले रहे । दिन चढ़ने के साथ ही सूरज के तेवर उग्र हो गए । दिनभर चिलचिलाती धूप के साथ गर्मी ने असर दिखाया। सड़कों पर निकले लोग गर्मी से बचने गमच्छा, टोपी, चश्मा लगाये नजर आये। वहीं मौसम विभाग ने आधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 5 अप्रैल तक जिले में आंधी, बिजली एवं तेज हवायें के साथ हल्की वर्षा की संभावना जाहिर की गई है।

मौसम विभाग की माने तो एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण, दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान और उससे संलग्न कच्छ क्षेत्र पर 1.5 किमी ऊँचाई पर स्थित है। एक अन्य ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण, उत्तर-पूर्व राजस्थान और उसके आसपास स्थित 1.5 किमी ऊँचाई तक विस्तृत है। पूर्वी बिहार और उसके आसपास 0.9 किमी ऊँचाई पर स्थित ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है। एक टूफ, पूर्वी बिहार से लेकर उत्तर मध्य महाराष्ट्र तक झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजरते हुए 0.9 किमी ऊँचाई पर फैली हुई है। उत्तर-पूर्व भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी ऊँचाई पर लगभग 185 किमी घंटा की गति से उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाए बह रही है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 7 अप्रैल से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। बुधवार को अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा।

बुजुर्ग महिला के खाते से सवा घंटे में उड़ाए 5 .50 लाख

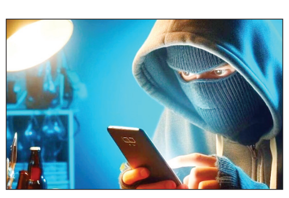

नवभारत, जबलपुर। मदनमहल थाना अंतर्गत नेपियर टाउन कंचन परिसर में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में सेंध लगाकर साइबर ठगों ने मात्र 75 मिनट के भीतर 5 लाख 50 हजार रुपये पार कर दिए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कंचन परिसर निवासी संध्या खंडेलवाल (59) के पति रेलवे से वीआरएस ले चुके हैं और बच्चे शहर से बाहर रहते हैं। उनके मोबाइल पर मैसेज आया, तो पति ने उसे चेक किया। मैसेज देखते ही दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेपियर टाउन शाखा के उनके खाते से 3 लाख रुपये कटने की सूचना थी। घबराई हुई महिला तुरंत बैंक पहुंची और अपना खाता चेक करवाया। बैंक स्टाफ द्वारा दी गई जानकारी और भी चौंकाने वाली थी। पता चला कि दोपहर 11 बजे से 12:15 बजे के बीच ठगों ने कुल 5 ट्रांजेक्शन किए थे। इन किस्तों में जालसाजों ने महिला के खाते से कुल 5 लाख 50 हजार रुपये उड़ा लिए थे। ठगी का शिकार होने के बाद महिला ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस प्रकरण दर्ज कर साइबर सेल की मदद से उन बैंक खातों और लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है,

आधी रात कर रहे थे शराब दुकान शिफ्ट, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, कर्मचारियों को खदेड़ा

नवभारत, जबलपुर। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ जबलपुर में शराब दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मदन महल लिंक रोड (लाड़ली पथ) पर प्रस्तावित नई शराब दुकान का स्थानीय लोगों ने देर रात जोरदार विरोध किया।

जानकारी के अनुसार पुरानी शराब दुकान को करीब आधा किलोमीटर दूर एक नए स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा था, जहां पहले कोचिंग सेंटर संचालित होता था। रात करीब 12 बजे जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिली, बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने कर्मचारियों को वहां से भगा दिया और दुकान न खुलने की चेतावनी दी।

पुलिस-आबकारी ने पहुंचकर दुकान को किया सील

विरोध बढ़ने पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सहायक आबकारी अधिकारी डीसी चतुर्वेदी के अनुसार, फिलहाल दुकान को सील कर दिया गया है। अब आगे का निर्णय कलेक्टर के निर्देशों के बाद ही लिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर इस स्थान पर शराब दुकान नहीं खुलने देंगे।

लाड़ली पथ पर शराब दुकान खोलना बेहद शर्मनाक

स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस सड़क को हाल ही में 'लाड़ली पथ' के रूप में विकसित करने की बात कही गई, उसी पर शराब दुकान खोलना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफिया और शराब माफिया मिलकर इलाके का माहौल खराब कर रहे हैं।

अभियान | बाहरी 7 भिक्षुकों को वापस उनके गृहग्राम भेजा, नगर निगम के भिक्षुक मुक्ति अभियान को मिल रही सफलता

गौरीघाट से 22 भिक्षुकों को आश्रय स्थल में किया गया शिफ्ट

नवभारत,जबलपुर। शहर की स्वच्छता और सुंदरता को एक नए स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के मार्गदर्शन में नगर निगम द्वारा एक व्यापक भिक्षुक मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम का उद्देश्य केवल सड़कों से भिक्षुकों को हटाना नहीं, बल्कि उन्हें पुनर्वास के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

अभियान के तहत विशेष रूप से इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है जिसमें गौरीघाट, तिलवाराघाट, उमाघाट, जिलेहरीघाट और दरोगाघाट, मुख्य चौराहे, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन परिसर आदि में कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान नगर निगम की टीम न केवल समझाइश दे रही है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए भिक्षुकों का वर्गीकरण भी कर रही है। जानकारी के अनुसार अभी तक 22 स्थानीय भिक्षुकों को सम्मानजनक जीवन के लिए शासकीय आश्रय स्थलों में शिफ्ट किया गया है, जहाँ उनके रहने और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं 7 बाहरी भिक्षुकों को काउंसलिंग के बाद उनके गृहग्राम भेजने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे अपने परिवार के साथ जुड़ सकें।

भिक्षा नहीं, स्वावलंबन दें...

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देना शहर के विकास में बाधक है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़कों पर भिक्षा न देकर इन व्यक्तियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कहा कि भिक्षा देना और लेना, दोनों ही कानूनन अपराध की श्रेणी में आते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत 1000 रुपये का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। कार्यवाही के दौरान सिटी मिशन मैनेजर चंदन प्रजापति, सोनिका मातेले एवं सामुदायिक संगठक आदि उपस्थित रहे।

प्लाट बेचने के नाम पर लाखों हड़पने वाले को ढाई साल की सजा

जबलपुर। प्लाट का सौदा कर उपभोक्ताओं की लाखों रुपये की राशि हड़प करने वाले आरोपी अब्दुला खान को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेहा तोमर की अदालत ने आरोपी को ढाई साल की सजा व दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अदालत को एडीपीओं मनाष समाधिया ने बताया कि अधारताल निवासी फरियादी देवदास बेन से आरोपी अब्दुला खान ने अपने नौदराब्रिज स्थित सेंट्रल प्लाजा के आफिस में रानी दुर्गावती समाधि बरगी रोड के एक हजार वर्ग फिट के प्लाट में निर्माण कर सात लाख रुपये में देने का सौदा तय किया था। जिसकी पीड़ित ने बकाया बुकिंग राशि दी और एग्रीमेंट के दौरान पचास हजार रुपये दिये। इसके बाद हर माह छह हजार रुपये की किस्त पीड़ित जमा करता रहा। जब उसने करीब एक लाख छह हजार रुपये जमा कर दिये और उसके बाद की किश्त देने गया तो पता चला कि अब्दुला खान आफिस छोड़कर भाग गया है। जिसकी शिकायत पीड़ित ने ओमती थाने में दर्ज करायी। पुलिस ने जांच दौरान पाया कि आरोपी ने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी करते हुए करीब 57 लाख 11 हजार 529 रूपये का गबन किया है। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

विभागीय जांच की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने विभागीय जांच कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रायसेन के बेगमगंज वितरण केंद्र में तत्समय कार्यरत सहायक प्रबंधक जूनियर इंजीनियर गणेश यादव की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह, पूनम सिंहए अजय नंदा व मनोज चतुर्वेदी ने पक्ष रखा ।उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध पराग धबरड़े उप महाप्रबंधक संचालन एवं संधारण संभाग रायसेन द्वारा जारी आरोप पत्र इस आधार पर चुनौती के योग्य है कि वे आरोप पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं थे। हाईकोर्ट ने तर्क से सहमत होकर आरोप-पत्र डेलीगेशन आफ पावर के विरुद्ध पाते हुए विभागीय जांच कार्रवाई पर रोक लगा दी।